

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी - सविता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या- 68/2023

GCMS No.2023/327

1. मुनेष देवी पत्नी शेर सिंह
2. सुनपति देवी पत्नी जयनारायण  
जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

.....प्रार्थीयागण

ब-ना-म

1. प्रेमलता शर्मा पत्नी राजेन्द्र पुत्री सुरजाराम जाति ब्राहमण निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)
2. दिनेश पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)
3. सोनू पुत्र राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)
4. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री तरुण कुमार - प्रार्थीयागण की ओर से
2. श्री मनोज कुमार कुमावत - अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक 25-06-2023

प्रार्थीयागण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1522 रकबा 0.16 है की प्रार्थीयागण एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करना चाहते हैं जिनका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीयागण की खातेदारी की भूमि में जबरन लट के जोर से पत्थर/ईंट डालकर चबुतरा बनाकर मूर्ति लगाने की धमकी दी तथा जाति सूचक गालिया दी। उक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य में व भूमि में डाले गये पत्थर ईंट आदि हटवाया जाना आवश्यक है वरना प्रार्थीयागण के हक व अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा जिससे प्रार्थीयागण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीयागण को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके गाम गौरीर तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074-2075 के खाता सं. 511 के खसरा नंबर 1522 रकबा 0.16 है क किसी भी भू भाग पर निर्माण आदि कर अतिक्रमण नहीं करें, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिचित, रिश्तेदार, मित्रों एवं एजेण्टों से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अपार्थीगण सं 1 लगा 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीयागण के अनुलोष प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठा मनगढ़त और तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज योग्य है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं करते हैं तथा प्रार्थीगण के हक में उक्त भूमि आई उस समय से पूर्व से ही धर्मशाला बनी हुई है तथा प्रार्थीगण द्वारा एक लिखावट दिनांक 19.09.2011 को अप्रार्थी के हक में लिखकर दी थी उक्त भूमि में बनी धर्मशाला में किसी प्रकार का हक विवाद या किसी प्रकार की अडचन नहीं करेंगे इसके बावजूद यह प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया है जो खारिज करने योग्य है।

विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074-77 खाता सं. 511 खसरा नंबर 1522 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. आबादी 0.08 है. बाराणी दायम 0.08 है. भूमि मनेष देवी पत्नी शेरसिंह हिरसा 1/2, सुनपति देवी पत्नी जयनारायण हिरसा 1/2 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयागण की एकाकी खातेदारी की भूमि है। लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि में 0.08 है किस्म गै.मु. आबादी एवं 0.08 है. की किस्म बाराणी दायम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.08 है. किस्म गै.मु. आबादी पर कब्जे का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों तथा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर दावे का निर्णय किया जाना उचित होगा तब तक प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र वाकत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वह गाम गौरीर स्थित भूमि खाता सं. 511 के हाल खसरा नंबर 1522 रकबा 0.16 है मे 0.08 है किस्म बाराणी दायम की हद तक रिकार्ड राजस्व की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 25-06-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया



2/

25/6/24

( साविता शर्मा )

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कुलकर्त खेतडी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी